

**:: न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0 ::**

**(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)**

**विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 100006/2016**

**संस्थापन दिनांक 15.06.2016**

मध्य प्रदेश शासन जरिये आरक्षी केन्द्र मौ, जिला भिण्ड म0प्र0	अभियोगी
--	---------

**॥ वि रु द्ध ॥**

शैलेन्द्र जाटव पुत्र हरविलास जाटव, उम्र 35 वर्ष, निवासी झल्लपुरा थाना मौ, जिला भिण्ड म0प्र0	अभियुक्त
---	----------

अभियोगी द्वारा - श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अभियुक्त द्वारा- श्री बृजराज सिंह गुर्जर अधि०।
--

**॥ निर्णय ॥**

**(आज दिनांक 27-04-2017 को उद्घोषित किया गया)**

टीपः. प्रकरण में आरोपी पर अभियोक्त्री के साथ लैंगिक हमला किये जाने का आरोप है, ऐसी स्थिति में निर्णय में अभियोक्त्री का नाम नहीं लिखा जाकर, अभियोक्त्री के नाम के प्रथम अंग्रेजी अक्षर अर्थात् अभियोक्त्री "एन" लिखा जा रहा है।

01. आरोपी पर दिनांक 07.04.2016 को 11 बजे ग्राम झल्लपुरा थाना मौ जिला भिण्ड में अवयस्क अभियोक्त्री 'एन' जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, का बुरी नियत से हाथ पकड़कर आपराधिक रूप से उसका सीना दबाकर बल प्रयोग करना, एवं अभियोक्त्री जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका है को सदोष अवरोध/हमला के भय में डालने की तैयार कर गृहअतिचार करना एवं अभियोक्त्री-एन के साथ लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354क, 452 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-8 के अंतर्गत आरोप

हैं।

02. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि ग्राम झल्लपुरा निवासी अभियोक्त्री- एन को दिनांक 07.04.2016 को दोपहर 11 बजे जब उसके माता पिता व भाई मजदूरी करने गए थे और वह घर पर अकेली थी, उसका पड़ोसी शैलेन्द्र जाटव उसके पास विस्कट लेकर आया ओर खाने का लालच देकर उसे अंदर के कमरे में ले गया और छेड़छाड़ कर उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। उसी समय अभियोक्त्री-एन का भाई अंकित आ गया तो उसे देखकर शैलेन्द्र भाग गया। गांव दूर होने से एवं अभियोक्त्री एन के मामा को भिण्ड से बुलवाकर दिनांक 09.04.2016 को थाना मौ में रिपोर्ट की जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप0क0 72/2016 अंतर्गत धारा 354ए भा.द.वि. एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा- 8 के तहत पंजीबद्ध किया गया।

03. विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अभियोक्त्री-एन सहित साक्षीगण के कथन लेख किए गए, अभियोक्त्री-एन के धारा 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन लेखबद्ध कराए गए। अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में अंकसूची आदि की जप्ती की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र विचारण हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया।

04. आरोपी पर प्रथम दृष्टया भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354क, 452 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-8 का अपराध पाये जाने से आरोप विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षी अभियोक्त्री- एन (अ.सा. 1), रामभरोसे (अ.सा.2), नारायणी (अ.सा.3), अंकित (अ.सा.4), सुशीला गोयल (अ.सा.5), नरेश (अ.सा.6), ए.एस. तोमर (अ.सा.7), दामोदर गुप्ता (अ.सा.8), का परीक्षण कराया गया

05. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने अपने-आप को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया तथा बचाव में बचाव साक्षी लक्ष्मी ब0सा0 1 का कथन आरोपी की ओर से कराया गया है।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है:-

01.	क्या अभियोक्त्री-एन घटना दिनांक 07.04.16 को 18वर्ष से
-----	---

	कम आयु की थी ?
02.	क्या आरोपी ने घटना दिनांक को अभियोक्त्री का सदोष अवरोध/हमला के भय में डालने की तैयारी करने के पश्चात् गृहअतिचार किया?
03.	क्या आरोपी के द्वारा बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर सीना दबाकर आपराधिक बल प्रयोग किया?
04.	क्या आरोपी ने अभियोक्त्री पर लैंगिक हमला कारित किया?
05.	दण्डादेश यदि कोई हो तो?

### II. साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष II

**नोट:-** उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

06. अभियोजन की ओर से यह आधार लिया गया है एवं इस संबंध में अभियोक्त्री 'एन' अ0सा0 1 के कथना भी रहे हैं कि घटना दिनांक 07.04.2016 को सुबह 11 बजे वह घर पर अकेली थी, उसके माता-पिता, भाई मजदूरी करने गए थे। तभी आरोपी शैलेन्द्र बिस्कुट लेकर उसके पास आया और बिस्कुट खिलाने के लालच में उसे कमरे के अंदर ले गया और उसके साथ छेड़ छाड़ की और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा, उसी समय भाई अंकित आ गया तो आरोपी उसके भाई को देखकर भाग गया।

07. घटना का चक्षुदर्शी साक्षी अंकित अ0सा0 4 को दर्शाया गया है। इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह सुबह 6 बजे घर से खेत गया था। जब 11 बजे घर वापस आया तो आरोपी शैलेन्द्र उसकी बहन अभियोक्त्री 'एन' को घर के अंदर ले गया था और उसे देखकर भाग गया, उस समय उसकी बहन रो रही थी।

08. साक्षी रामभरोसे अ0सा0 2 एवं नारायणी अ0सा0 3 ने घर आने पर घटना की जानकारी सुनकर प्राप्त होने संबंधी कथन किए हैं। साक्षी नरेश अ0सा0 6 ने भी घटना देखी जानी संबंधी कथन किए हैं। प्रकरण की विवेचना साक्षी ए.एस.तोमर अ0सा0 7 एवं दामोदर गुप्ता अ0सा0 8 के द्वारा की गई है।

09. बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है एवं इस संबंध में बचाव साक्षी लक्ष्मी ब0सा0 1 के कथन भी रहे हैं कि अभियोक्त्री के पिता के भाई रामकिशन थे, जिसकी पुत्री मुन्नी के

मोहरसिंह पुत्र आदिराम से संबंध थे। मोहरसिंह और मुन्नी के बीच गलत संबंध स्थापित हुए थे और दोनों को रामकिशन व रामभरोसे के परिवार वालों ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, इसी बजह से मुन्नी बाई की उसके घर वालों ने हत्या कर उसे फाँसी पर लटका दिया था और उसे आत्महत्या का रूप दिया था, जिसकी सूचना आरोपी शैलेन्द्र के द्वारा थाना में दी गई थी, जिस पर से पुलिस वालों के द्वारा रामभरोसे एवं उसके पुत्रों तथा भतीजों से पुलिस ने पूछताछ की थी और इसी रंजिश पर से फरियादी पक्ष आरोपी से रंजिश रखता है और इसी कारण कारण यह मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराई है।

10. प्रकरण में आरोपी पर अपराध इस संबंध में भी है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम आयु की थी। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इस बात पर विवेचन किया जाना आवश्यक है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री 'एन' की आयु 18 वर्ष से कम थी।

11. अभियोक्त्री ने न्यायालय परीक्षण के दौरान अपनी आयु 15 वर्ष की होनी बताई है। अभियोक्त्री के पिता रामभरोसे अ0सा0 2 एवं माँ नारायणी अ0सा0 3 ने भी अभियोक्त्री 'एन' को घटना के समय 15 वर्ष की होनी बताया है। अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री 'एन' को शिक्षा ग्रहण करने के आधार लिए गए हैं और इस संबंध में शासकीय प्राथमिक विद्यालय झल्लपुरा के भर्ती रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत की है।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत **जर्नेलसिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य, 2013(7) एस.सी.सी. 263** में यह अभिनिर्धारित किया है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में अभियोक्त्री की आयु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के नियम 12 के अनुसार निर्धारित की जाना चाहिए। नियम 12 के अनुसार आयु के संबंध में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो, उसके उपलब्ध ना होने पर जहां बालक पहली बार स्कूल गया, उस स्कूल के जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर, तत्पश्चात जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर आयु निर्धारित की जाना चाहिए, संबंधी प्रावधान हैं।

13. प्रकरण में अभियोक्त्री 'एन' की आयु को प्रमाणित कराने के लिए अभियोक्त्री के विद्यालय में पढ़ने का आधार लिया गया है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी सुशीला गोयल अ0सा0 5 का परीक्षण कराया गया है। इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि उनके विद्यालय में अभियोक्त्री 'एन' ने कक्षा पहली में दिनांक 01.07.2006 को प्रवेश लिया था तथा भर्ती रजिस्टर के प्रवेश क्रमांक 151 पर अभियोक्त्री 'एन' का नाम दर्ज है, जिसके अनुसार अभियोक्त्री 'एन' की जन्मतिथि 01.



07.2001 लेख है।

14. यह सुस्थापित है कि अभियोजन को अभियोक्त्री 'एन' 18 वर्ष से कम आयु की थी नियम 12 के अनुसार दिये गए दस्तावेजों के आधार पर ही प्रमाणित की जानी होगी। यदि प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श 3सी के दस्तावेज का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री की जन्मतिथि किस दस्तावेज के आधार पर लेख की गई, इसका कोई उल्लेख प्रदर्श 3सी के रजिस्टर में नहीं है। अभियोक्त्री 'एन' का दाखिला साक्षी सुशीला गोयल अ0सा0 5 कक्षा 1 में होने संबंधी कथन करती है, किन्तु इस आशय का कोई उल्लेख प्रदर्श 3सी के रजिस्टर में नहीं है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय का अनेक प्रकरणों में यह अभिमत रहा है कि स्कूल का दाखिला रजिस्टर व जन्मतिथि रजिस्टर इसीलिए सुसंगत है, क्योंकि उसमें विद्यार्थी की जन्मतिथि किस दस्तावेज के आधार पर लेख कराई गई है का उल्लेख होता है, किन्तु प्रकरण में जो दस्तावेजों प्रदर्शित कराए गए हैं, उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि स्कूल में किस दस्तावेज के आधार पर लेख कराई गई थी। यहाँ तक कि साक्षी सुशील गोयल अ0सा0 5 का यह भी कहना रहा है कि वह नहीं बता सकती कि विद्यालय में अभियोक्त्री 'एन' का दाखिला कराने के लिए कौन आया था और जन्मतिथि किस के द्वारा लेख कराई गई थी।

15. ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री 'एन' का विद्यालय में दाखिला कराते समय जन्मतिथि किस अधिकृत दस्तावेज के आधार पर लेख कराई गई है प्रमाणित नहीं होता है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि विवेचनाधिकारी के द्वारा विद्यालय का जन्मतिथि रजिस्टर भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है।

16. माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय का अपने न्याय दृष्टांत **रमेश उर्फ डब्लु विरुद्ध म.प्र. राज्य 2014 (3) एम.पी.जे.आर. 146** में यह अभिमत रहा है कि विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा वह आधार नहीं दर्शाया गया जिसके आधार पर स्कूल में आयु लेख की गई, ऐसे आधारों पर आयु के संबंध में निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस संबंध में माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **सुधा विरुद्ध चरणसिंह एवं अन्य, 2007 (11) एम.पी.वीकली नोट 118** भी अवलोकनीय है।

17. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के अपने न्याय दृष्टांत **आत्माराम विरुद्ध म.प्र. राज्य 2015 (1) एम.पी.जे.आर. (सी.जी) 91** में यह अभिमत रहा है कि स्कूल के रजिस्टर में जो जन्म तिथि लिखाई, उसका कोई स्रोत नहीं है और ऐसी जन्मतिथि कल्पना के आधार पर दर्ज की

जाती है, जो विश्वास योग्य नहीं है। इस संबंध में माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत रघुवीरप्रसाद विरुद्ध म.प्र.राज्य 2015 (2) सी.डी.एच.सी.735 (म.प्र.) अवलोकनीय है।

18. अतः प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में इस आशय की कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री 'एन' 18 वर्ष से कम आयु की थी।

19. प्रकरण में यदि आरोपित अपराध के संबंध में साक्षियों की विश्वसनीयता के संबंध में साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री 'एन' अ0सा0 1 आरोपी के द्वारा बिस्कुट खिलाने का लालच देकर कमरे के अंदर ले जाना और छेड़ छाड़ करने एवं शरीर पर हाथ फिराने के आरोप लगाए हैं। अभियोक्त्री 'एन' ने आरोपी के साथ घर के अंदर जाने से इन्कार किया हो या उसका विरोध किया हो अथवा आरोपी बल पूर्वक उसे घर के अंदर ले गया हो ऐसा अभियोक्त्री 'एन' का कहना नहीं रहा है।

20. मौके पर अभियोक्त्री 'एन' का भाई अंकित अ0सा0 4 अपने कथनों में घटना देखने संबंधी कथन करता है, किन्तु यदि इस साक्षी के पुलिस कथन प्र.डी. 3 का अवलोकन किया जाए तो यह साक्षी केवल इस आशय का कथन करता है कि आरोपी उसकी बहन के साथ कमरे में घुसा हुआ था और उसे देखकर कमरे से निकलकर भाग गया। इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में कमरे के अंदर की घटना देखे जाने संबंधी कथन किए हैं जो स्वभाविक प्रतीत नहीं होता है, क्यों कि बाहर से कमरे के अंदर आरोपी ने अभियोक्त्री 'एन' के साथ क्या घटना की देखा जाना संभव नहीं है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि साक्षी अंकित अ0सा0 4 घटना के तत्काल पश्चात् मामा को फोन करने संबंधी कथन करता है, किन्तु यदि साक्षी नरेश अ0सा0 6 जो कि अभियोक्त्री 'एन' का मामा है के कथनों का अवलोकन किया जाए तो यह साक्षी आश्चर्यजनक रूप से अपने आपको घटना का चक्षुदर्शी बताता है और इस आशय के कथन करता है कि दिन की बात है वह घर के बाहर अपनी बहन के घर में लेटा हुआ था और जब उसकी भानेज अभियोक्त्री बचाओ चिल्लाई तब वह पहुँचा तो देखा कि शैलेन्द्र आरोपी वहाँ पर था और उसे देखकर भाग गया। जबकि यह साक्षी अभियोजन कथानक अनुसार घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और सूचना मिलने पर दूसरे दिन अभियोक्त्री 'एन' के घर पहुँचा है।

21. अपने कथनों में अंकित अ0सा0 4 भी आरोपी को अपने सामने भागने संबंधी कथन करता है, किन्तु इस साक्षी का भी कहना नहीं रहा है कि उस समय उसका मामा अर्थात् साक्षी

नरेश घर पर था। इसके विपरीत साक्षी नरेश अ0सा0 6 भी घटना देखे जानी संबंधी कथन करता है, किन्तु यह साक्षी इस आशय के कथन नहीं करता है कि उस उसमय अंकित अ0सा0 4 भी मौके पर आ गया था। यहाँ यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि साक्षी अंकित अ0सा0 4 का स्पष्ट अपने कथनों में कहना रहा है कि उस समय घर पर केवल उसकी बड़ी मम्मी और छोटी बहन अभियोक्त्री 'एन' के अलावा कोई नहीं था और घटना के समय उसकी बड़ी मम्मी घर पर नहीं थी। जबकि साक्षी नरेश अ0सा0 6 अपने प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 में केवल स्वयं के एवं अभियोक्त्री 'एन' के अकेल रहने संबंधी कथन करता है, बल्कि यहाँ तक कथन करता है कि अभियोक्त्री 'एन' ने उसकी बहन, बहनोई, भानेज और स्वयं के लिए खाना बनाया था और उसने खाना खाया था।

22. साक्षी नरेश अ0सा0 6 अपने कथनों में इस आशय के कथन करता है कि उसकी बहन के घर पर वह अकेला रह गया था तो घर के बाहर लेट गया था, जबकि अभियोक्त्री 'एन' अ0सा01 घटना के समय दरवाजे पर बैठने एवं वहाँ पर आरोपी के आने संबंधी कथन करती है। ऐसी स्थिति में जबकि साक्षी नरेश अ0सा0 6 घर के बाहर लेटा था उसके सामने आरोपी अंदर कैसे आया इसका कोई स्पष्टीकरण साक्षी की ओर से नहीं दिया गया है।

23. साक्षी नरेश का जिस प्रकार का आचरण रहा है, जिस प्रकार की साक्ष्य आई है और अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह साक्षी जानबूझकर अपने आपको चक्षुदर्शी बता रहा है और आरोपी के विरुद्ध गवाही देने में हितबद्ध प्रतीत होता है।

24. साक्षी रामभरोसे अ0सा0 2 अपने मुख्य परीक्षण में इस आशय का कथन करता है कि दोपहर में जब वह 12-01 बजे घर आया तो उसकी पुत्री ने यह बताया था, किन्तु यदि इस साक्षी के प्रतिरीक्षण में आए कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का कथनों में कहना रहा है कि उसे पुत्री ने घटना के संबंध में कोई बात नहीं बताई और न ही उसकी पत्नी ने उसे कुछ बताया, उससे गांव वाले कह रहे थे तब उसे पता चला था। यह तथ्य स्वभाविक सा प्रतीत नहीं होता है, जहाँ कि एक पिता अपने पुत्री के साथ गंभीर घटना घटित हो जावे, वह पुत्री और पुत्री की माँ पिता को कुछ न बतावे और ऐसी घटना पिता को गांव वालों के बताने पर पता चले।

25. साक्षी नारायणी अ0सा0 3 अभियोक्त्री 'एन' के द्वारा बताने पर घटना बताने संबंधी कथन करती है। इस साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से लिए गए अपने सुझाव के समर्थन में सकारात्मक सुझाव देने पर इस साक्षी ने इस साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार नहीं किया है।

26. प्रकरण में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन बिलम्ब से दर्ज कराई गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है और रिपोर्ट कराने के संबंध में गंभीर विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में मामला अपने आप संदेहास्पद हो जाता है।

27. प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 का अवलोकन किया जाए तो घटना दिनांक 07.04.2016 की होनी दर्शाई गई है, जबकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से दिनांक 09.04.2016 को लेख की गई है।

28. यदि इस संबंध में साक्षियों के कथनों का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री 'एन' अ0सा0 1 का अपने कथनों में यह कहना रहा है कि उसके मामा भिण्ड में रहते हैं, उन्हें बुलाया था फिर वह मम्मी पापा के साथ रिपोर्ट करने थाना मौ गई थी, जबकि अभियोक्त्री का मामा नरेश अ0सा0 6 अपने आपको घटना चक्षुदर्शी साक्षी होना बताता है। यहाँ तक कि अभियोक्त्री 'एन' का यह कहना भी रहा है कि घटना दिनांक को ही पुलिस गांव में आ गई थी और घटना दिनांक को ही रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। रिपोर्ट घर पर ही लिखाई थी और थाने पर भी लिखाई थी। यहाँ तक कि इस साक्षी ने घटना के दो दिन बाद दिनांक 09.04.2016 को रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के सुझाव को इन्कार दिया है और दृढ़ता से कहा है कि घटना दिनांक को ही रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। इसी आशय के कथन रामभरोसे अ0सा0 2 के रहे हैं कि घटना दिनांक को ही रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। साक्षी नारायणी अ0सा0 3 का भी अपने कथनों में यह कहना रहा है कि घटना दिनांक को ही फोन लगाया था तो पुलिस आ गई थी और रिपोर्ट घर पर लिखाकर तत्पश्चात् थाने में लिखी थी। घटना जिस दिन हुई उसी दिन रिपोर्ट लिखववाई थी। घटना दिनांक को ही रिपोर्ट लिखाने संबंधी कथन साक्षी अंकित अ0सा0 4 के भी रहे हैं। किन्तु किसी भी साक्षी के ऐसे कथन नहीं रहे हैं कि घटना की रिपोर्ट दो दिन बिलम्ब से दर्ज कराई गई हो। विवेचनाधिकारी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक दामोदर गुप्ता अ0सा0 8 ने साक्षियों के उन कथनों से स्पष्ट इन्कार किया है कि दिनांक 09.04.2016 के पूर्व फरियादिया व उसके माता पिता एवं मामा रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे, बल्कि साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट लिखाने अभियोक्त्री 'एन', उसकी माँ एवं उसका मामा पैदल सुबह 10 बजे थाना आए थे और रिपोर्ट लिखाकर चले गए थे। अतः दो दिन से बिलम्बित प्रथम सूचना रिपोर्ट का स्पष्टीकरण साक्षियों की ओर से नहीं आया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने संबंधी किए गए कथन मामले को गंभीर रूप से संदेहास्पद एवं साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किये जाने के आधार पर उत्पन्न



करती है।

29. बचाव पक्ष की ओर से लिया गए सुझाव पर विचार किया जावे कि रंजिश के कारण मिथ्या रिपोर्ट की है, इस संबंध में यदि साक्षी अभियोक्त्री 'एन' अ0सा0 1, नारायणी अ0सा0 3 एवं नरेश अ0सा0 6 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इन साक्षियों ने बचाव पक्ष के लिए गए सुझावों को स्वीकार नहीं किया है, किन्तु यदि साक्षी रामभरोसे अ0सा0 2 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका एक भाई रामकिशन था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी पुत्री मुन्नी के गलत संबंध मोहरसिंह से बन गए थे और मोहरसिंह का उनके घर आना जाना था। हालांकि इस साक्षी ने मुन्नी एवं मोहरसिंह को परिवारजनों द्वारा आपत्तिजनक अवस्था में देखे जाने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया है, किन्तु यदि इस संबंध में साक्षी अंकित अ0सा0 4 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए इस साक्षी ने भी यह स्वीकार किया है कि मुन्नी एवं मोहरसिंह के गलत संबंध जुड़ गए थे। मोहरसिंह का उनके यहाँ रात में आना जाना था और मोहरसिंह और उसके ताऊ की लड़की मुन्नी बाई को उसके पिता, रामभरोसे एवं ताऊ के लड़कों ने आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। हालांकि इस सुझाव से साक्षी ने इन्कार किया है कि ताऊ के लड़कों ने मुन्नी बाई को हत्या कर फाँसी पर लटका दिया था, किन्तु अन्य तथ्यों भी साक्षी ने पुनः स्वीकार किया है कि मुन्नी बाई की मृत्यु के बाद मोहरसिंह अहमदाबाद चला गया था। इस साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि आरोपी शैलेन्द्र ने मुन्नीबाई के फाँसी लगाकर मरने की सूचना थाने में दे दी थी। तत्पश्चात् मौ के पुलिस वाले उसके पिता रामभरोसे, भाई देवेन्द्र एवं शिवसिंह व राजेन्द्र को बार बार आकर परेशान कर रहे थे। इस तथ्य को साक्षी रामभरोसे अ0सा0 2 ने भी स्वीकार किया है और दोनों ही साक्षियों ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उक्त बात पर से आरोपी एवं उनके परिवार के मध्य रंजिश भी हो गई थी।

30. अतः प्रकरण में साक्षी रामभरोसे अ0सा0 2 एवं अंकित अ0सा0 4 के कथनों से यह तथ्य स्पष्ट प्रमाणित होता है कि आरोपी एवं फरियादी पक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश थी। निश्चित रूप से रंजिश एक द्विधारी तलवार है जो व्यक्ति को आक्रमण करने का अवसर प्रदान करती है तो प्रतिरक्षा का अधिकार भी देती है।

31. प्रकरण में जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में अभियोक्त्री 'एन' ने घटना घटित होनी संबंधी कथन किए हैं उस संबंध में समस्त अभियोजन साक्षियों के कथनों में तात्त्विक, महत्वपूर्ण व गंभीर विरोधाभास है जो अभियोजन साक्षियों की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। प्रथम

सूचना रिपोर्ट करने के संबंध में साक्षियों के कथन गंभीर संदेह के घेरे में है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी नरेश अ0सा0 6 का आचरण इस हद तक का प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रकार से आरोपी को दंडित करना चाहता है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्षी नरेश के आने पर लेख कराई गई है। अभियोक्त्री 'एन' अ0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि रिपोर्ट उसके मामा के कहे अनुसार उसने लेख कराई थी, बल्कि साक्षी का यहाँ तक कहना रहा है कि जैसा उसके मामा उससे कहते रहे वह वैसी रिपोर्ट लिखवाती रही। जबकि इस संबंध में साक्षी नारायणी अ0सा0 3 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि रिपोर्ट उसने स्वयं ने लिखवाई थी, उसकी पुत्री अभियोक्त्री 'एन' ने नहीं लिखवाई थी। अतः रिपोर्ट किस के द्वारा लेख कराई गई इस संबंध में भी साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है और नरेश के निर्देश में रिपोर्ट लिखवाई जाना मामला को संदेहास्पद बनाता है।

32. प्रकरण में अपराध होने के संबंध में साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती है, जिसमें गंभीर दुर्वलताएं व लोप है। प्रकरण में विलंबित प्रथम सूचना रिपोर्ट है तथा प्रकरण में फरयादी पक्ष एवं आरोपी के मध्य पूर्व से रंजिश होने का तथ्य प्रमाणित होता है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष की ओर से लिया गया आधार अनधि संभाव्य नहीं माना जा सकता है। दंडिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला प्रत्येक दशा में संदेह से परे प्रमाणित किया जाना होगा। किन्तु प्रसंगागत प्रकरण में अभियोजन कथानक एवं साक्षियों की साक्ष्य गंभीर रूप से संदेह के घेरे में है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित कर दिया है।

33. अतः प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन, आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

34. परिणामतः आरोपी शैलेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354क, 452 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-8 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

35. आरोपी के निरोध में रहने के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।
36. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।
37. निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड को भेजी जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया )

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)